उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपकम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या : 228–पारे0अनु0–16/पाकालि/18–74/2013, दिनांक 23 जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 के पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 01 जुलाई, 2016, 01 जनवरी, 2017 एवं 01 जुलाई, 2017 से बढ़ी हुई दर से महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

उ0प्र0 शासन के आदेश सं0–38/2016–सा–03–921/दस/2016/308/2016 दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 द्वारा राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को वेतन समिति, 2016 की संस्तुतियों के क्रम में दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 01 जुलाई, 2016 से 02 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी थी तदुपरान्त शासनादेश सं0–20–2017/सा–3–365/दस –2017–301/2000टी0सी0 लखनऊ दिनांक 14 जुलाई, 2017 के माध्यम से दिनांक 01 जनवरी, 2017 से महंगाई राहत की 02 प्रतिशत की दर से एक और किश्त की स्वीकृति प्रदान कर कुल 04 प्रतिशत की दर से तथा शासनादेश सं0–37/2017/सा–3–774/दस–2017–301/2000 टी0सी0 लखनऊ दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 के द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2017 से महंगाई राहत की एक और किश्त 01 प्रतिशत की दर से दिये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुये 01 जुलाई, 2017 से कुल 05 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत की अनुमन्यता प्रदान की गई है।

2. उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 के समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य कराये जाने के आदेश इस सम्बन्ध में राजकीय पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों हेतु जारी शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 के माध्यम से जारी कर दिया गया है, जिसके दृष्टिगत उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर महंगाई राहत की दरें उपर्युक्त शासनादेशों की अनुरूपता में निम्नवत् अनुमन्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्रम सं0	महगाइ राहत अनुमन्यता की तिथि	महगाइ राहत की देय किश्त की दर	महगाइ राहत की देय कुल दर
1	01 जुलाइ, 2016	02 प्रतिशत	02 प्रतिशत
2	01 जनवरी, 2017	02 प्रतिशत	04 प्रतिशत
3	01 जुलाइ, 2017	01 प्रतिशत	05 प्रतिशत

3. महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के आधे से कम आगणित होगी, उसे नज़रअंदाज कर दिया जायेगा, जबकि आधे से अधिक को पूर्ण रूपये के रूप में लिया जायेगा।

4. दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित अनन्तिम पेंशन पर भी उपर्युक्तानुसार महंगाई राहत अनुमन्य होगी।

क्रमशः....2

5. पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1054–डब्लू0सी/राविप–औ0सं0–19–14 (23) एफ–85, दिनांक 16.06.1998 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर उक्त अतिरिक्त महंगाई राहत के भुगतान के लिये उप महाप्रबन्धक (लेखा)/उपमुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों/कोषागारों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा यथा स्थिति के अनुसार इस कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान उपरोक्त बिन्दु–1 से –4 के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।
6. महंगाई राहत की स्वीकृति हेतु पूर्व निर्गत आदेशों में उल्लिखित अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

संख्या : 228–पारे0अनु0–16/पाकालि/18–74/2013/तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ को शासनादेश सं0–20–2017/सा–3–365/दस –2017–301/2000टी0सी0 लखनऊ दिनांक 14 जुलाई, 2017 एवं शासनादेश सं0–37/2017/सा–3–774/दस–2017–301/2000 टी0सी0 लखनऊ दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 के **सन्दर्भ में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया पेंशन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश के अनुसार राजकीय पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही की अनुरूपता में उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के सम्बन्ध में कार्यवाही कराने का कष्ट करें।**
5. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, कक्ष संख्या–148, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
8. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक/मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
9. समस्त जिलाकोषाधिकारी, उ0प्र0।
10. सचिव, पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर ट्रॉन्समिशन कारपोरेशन लि0।
12. समस्त उपमहाप्रबन्धक/उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0।
13. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (पेंशन), लखनऊ।
14. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
15. अधिशासी अभियन्ता (सं0) निदेशक (आपरेशन), उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को ट्रान्समिशन की वेब–साइड www.upptcl.org पर अपलोड करने हेतु।
16. कट फाइल।

आज्ञा से,

अजय कुमार श्रीवास्तव
उप सचिव (पारेषण)